

प्रारूप 21ग

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

01- पुरोला (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि - **श्री दुर्गेश्वर लाल, ग्राम रेक्वा, तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी** जो (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई है।)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान : उत्तरकाशी

तारीख : 10.03.2022


10.3.22

(सोहन सिंह सैनी)

रिटर्निंग आफिसर

01- पुरोला (अ0जा0) विधानसभा क्षेत्र

विधान सभा

FORM 21C

[See rule 64]

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sri. Durgeshwar Lal, Vill- Rekcha, tehsil- Mori, Distt- Uttarkashi sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place -Uttarkashi

Date - 10-03-2022

*Score out, if inappropriate.


Returning Officer
01- Purola(sc) AC
01 पुरोला (अ०प्रा०)
विधान सभा